



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50133

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8017 वर्ष 2026

नरोत्तम सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	परवेश कुमार पाण्डेय, सर्वेश कुमार पाण्डेय
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त कार्यवाही का आरंभ स्वयं वर्ष 2026 में ही किया गया है। यह भी परिलक्षित होता है कि उक्त कार्यवाही के संस्थापन के तत्पश्चात, याचिकाकर्ता, जो कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी है, उसी के शीघ्र निस्तारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिस पर प्रथम बार दिनांक 12.01.2026 को आदेश पारित किया गया था।
2. उपर्युक्त परिस्थितियों में, न्यायालय का मत है कि यह ऐसा उपयुक्त प्रकरण नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित अंतरिम राहत प्रदान की जा सके।
3. तदनुसार, रिट याचिका निरस्त की जाती है।
4. उपर्युक्त आदेश पारित होने के पश्चात, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को अनुदत्त के रूप में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।
5. उक्त परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका अनुदत्त के रूप में निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 11 मार्च, 2026

स्वाति

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।